

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1418

बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना

1418. श्री गणेश सिंह:

श्री विजय बघेल:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्री दिनेश भाई मकवाणा:

श्री तेजस्वी सूर्या:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री नव चरण माझी:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

डॉ. के. सुधाकर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नेशनल हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल प्रोग्राम हेतु उत्पादन संपृक्त प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) यह योजना किस प्रकार भारत में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाएगी;
- (ग) पीएलआई योजना के अंतर्गत सोलर पीवी निर्माताओं के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया किस प्रकार भारत में उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल उत्पादन के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देती है;
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के सफल कार्यान्वयन के संभावित आर्थिक प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
- (च) इस योजना से राजस्थान राज्य को किस प्रकार लाभ हुआ है;
- (छ) क्या भारत में सोलर मॉड्यूल के आयात या सोलर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए आवश्यक घटकों के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ज) घरेलू सौर उत्पादन के संबंध में भारत की लक्षित योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देना और इस प्रकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना है।

- (ख) और (ग): उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत, पीएलआई की राशि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योजना के तहत चयनित सौर पीवी निर्माताओं द्वारा निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों में स्थानीय सामग्री से जुड़ी हुई है। सौर पीवी मॉड्यूलों में स्थानीय सामग्री के अनुपात के लिए पीएलआई राशि को जोड़ना देश में समग्र सौर पीवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अवसर पैदा करता है, जिससे भारत में उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान मिलता है।
- (घ) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत चयनित निर्माता भारत में कहीं भी अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं। उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना का परिचय 24,000 करोड़ रु. है। चूंकि यह योजना अभी निर्माण अवधि में है, इसलिए अभी तक कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है।
- (ङ) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाले सौर निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत लगभग 35,000 करोड़ रु. का निवेश किया गया है और लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है।
- (च) निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दो निर्माताओं अर्थात् - रिन्यू फोटोवोल्टेक्स प्रा. लि. और गु एनर्जी प्रा. लि. ने राजस्थान राज्य में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं।
- (छ) जी, नहीं।
- (ज) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के विनिर्माण को बढ़ावा देना और इस प्रकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना है। उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए अनुमोदित मॉडलों और विनिर्माताओं (एएलएमएम) की सूची के अनुसार देश में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 63 गीगावाट है।
